कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पिथौरागढ़।

पत्रांक 264/ सांसद निधि / 2024-25 दिनांक 22 जुलाई, 20

अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़।

विषय - मा0 सांसद श्री अजय टम्टा (लोक सभा) की सांसद निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु धनराशि का प्रेषण।

उपर्युक्त विषयक निर्माण कार्य सम्पन्न करवाने हेतु चेक संख्या 044032 दिनांक 28-06-2024 द्वारा धनराशि **रू0 562500 (पाँच लाख बासठ हजार पाँच रूपये मात्र)** आपके खाते में हस्तान्तरित कर दी गयी है। योजना का विवरण निम्न प्रकार है।

(धनराशि लाख रू0

कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़।

क्र0स0	योजना का नाम	विकास खण्ड	कोष वर्ष	स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति	प्रथम किश्त	प्राक्कर एवं फो
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पिथौरागढ़ नगर के खड़कोट वार्ड में उल्का देवी मन्दिर के समीप स्थल विकास हेतु	बिण	2022-23	2.50	2.50	1.875	प्राप्त
2	विकास खण्ड मुनाकोट के तल्ली गोड़ीघट कालाझाल के समीप स्थल विकास हेतु	बिण	2022-23	1.00	1.00	0.75	प्राप्त
3	विकास खण्ड बिण के ग्राम पंचायत कनारी में भूमिया मन्दिर के समीप स्थल विकास	बिण	2022-23	2.00	2.00	1.50	प्राप्त
4	विकास खण्ड बिण के ग्राम पंचायत पाभै में खड़कमाडु मन्दिर के समीप स्थल विकास	बिण	2022-23	1.00	1.00	0.75	प्राप्त
5	विकास खण्ड बिण के ग्राम पंचायत कनारी में आगर तोक भनरिया में यात्री प्रतीक्षालय निर्माण	बिण	2022-23	1.00	1.00	0.75	प्राप्त
	कुल			7.50	7.50	**5.62500**	

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष आप द्वारा प्रेषित प्राक्कलन उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं कार्य स्थल के फोटोग्राफ एवं एम0बी0 के आधार पर आपको द्वितीय किश्त : धनराशि प्रेषित की जा रही है। द्वितीय किश्त की धनराशि का मानक के अनुसार उपयोग होन पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र(मूल में) प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सांसद क्षे विकास योजना के निम्न लिखित दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

1-धनराशि धार्मिक स्थलों पर व्यय न की जाय तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का कड़ाई से पालन किया जाये।

2-योजना के कार्य स्थल पर माननीय सांसद(लोकसभा)/माननीय सांसद(राज्यसभा)का नाम उल्लेख करते हुये सांसद निधि/योजना निर्माण करने से पूर्व सूचना पट लगाया जाये। जिसमें मा0सांसद जी का नाम,कार्य का नाम,वर्ष, कार्य की लागत, कार्य आरम्भ की तिथि,कार्य समापन की तिथि ,उद्घाटन की तिथि,कार्यदायी संस्था : नाम अंकित हो।

3.निर्माण कार्य पर किसी प्रकार का प्रशासनिक प्रभाग-सैन्टेज चार्ज किसी व्यक्ति का वेतन,यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।निधि की धनराषि का भूमि अधिग्रहण त: अधिगृहित भूमि का मुवावजे पर व्यय प्रतिबंधित है।

4-कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण किया जाये।

5-मासिक प्रगति रिर्पोट माह की 20तारीख तक अवश्य रूप से प्रेषित की जाय।

6-कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व का चिन्हित फोटोग्राफ व निर्माणाधीन कार्य का फोटोग्राफ तथा कार्य पूर्ण के उपरान्त का फोटोग्राफ प्रमाणित कराकर प्रेषित किया जाय।

7-कार्य 1 वर्ष के अन्दर पूर्ण कराया जाय कार्य पूर्ण होने के उपरान्त एक माह के अन्दर कार्य का उपयोगिता प्रमाण-पत्र,अंतिम एम0बी0की छाया प्रति व कार्य पू प्रमाण-पत्र कार्य पूर्ण का प्रमाणित फोटोग्राफ व कार्य की समापन रिर्पोट डी0आर0डी0ए0 को प्रत्येक दशा में अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

8-द्वितीय किश्त का प्रस्ताव प्रेषित करते समय कार्य का फोटोग्राफ प्रमाणित कराकर जिसमें किसी कर्मचारी की फोटो हो प्रथम किष्त का उपभोग प्रमाण-पत्र,मूल्याक की प्रमाणित छाया प्रति प्रेषित किया जाये।

9-भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यो में यथा सम्भव भूकम्परोधी तकनीकी को ध्यान में रखा जाये। रॉयल्टी काट कर ट्रेजरी में जमा करें।

10-निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि विवाद रहित है या नहीं इस बात का ध्यान रखा जाये।

11-व्यक्तिगत /पारिवारिक लाभ की योजनाओं में पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित हैं।

12-जिस योजना के लिये धनराषि अवमुक्त की जा रही है उसी योजना पर व्यय किया जाय।

13-योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 की शर्तों का अनुपालन सुनिष्चित किया जाय।

14-केन्द्र,राज्य सरकार उनके विभागों,सरकारी अभिकरणों/ संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बद्ध कार्यालय तथा रिहायशी भवन के निर्माण पर पूर्ण रूप : प्रतिबन्ध है।

15-सार्वजनिक भवन निर्माण की भूमि के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र दिया जाय यथा-सरकारी भूमि,ग्राम पंचायत की भूमि,आदि

16-सम्पर्क मार्ग में सी0सी0मार्ग निर्माण किया जाय। खण्डजा मार्ग अनुमन्य नही है।

नोट-मेला स्थल/ सौन्दर्यकरण सम्बन्धी कार्य किसी भी दशा में मंदिर के पास व उसकी भूमि में न करायें जायें। यदि कोई भी मंदिर के पास या उसकी भूमि में करार जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

पत्रांक 313
दिनांक 22/07/2024

ह0/-
(नन्दन कुमार)
मुख्य विकास अधिकारी
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि- 1 श्री अजय टम्टा मा0सांसद (लोक सभा) 604, कावेरी अर्पाटमेन्ट, डा0बी0डी0मार्ग, नई दिल्ली 110001 को सूचनार्थ प्रेषित।
2 जिलाधिकारी महोदया पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
पिथौरागढ़।

D:\109\Sansad Nidhi\Ajay Tamta\4 Letter of Payment to Work Department.docx